न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2020RAAJu225RTA000 Bhanwarlal Vs Godaram etc

भंवरलाल पुत्र सुजाराम सुथार
निवासी ग्राम मियासनी, तहसील जोधपुर
जिला जोधपुर
हाल निवासी मकान संख्या 85
रेलवे लाईन के पास, बलदेव नगर
मसूरिया जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. गोदाराम पुत्र सुजाराम सुथार, मकान संख्या 63, ज्योति नगर, देवी रोड के पास, चॉदणा भाखर, जोधपुर
2. मिश्रीलाल पुत्र सुजाराम सुथार, मकान संख्या 242, कमला नेहरू नगर, तृतीय विस्तार योजना, देवी रोड के पास, चॉदणा भाखर, जोधपुर
3. बस्ताराम पुत्र सुजाराम सुथार, निवासी सुथारों का बास, ग्राम मियासनी, तहसील व जिला जोधपुर
4. पुष्पादेवी पत्नी गणपतलाल सुथार, निवासी ग्राम सरदारपुरा, वाया मण्डला, तहसील सोजत सिटी, जिला पाली
5. तहसीलदार, जोधपुर

-----रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर, फास्ट ट्रेक, जोधपुर दिनांक 23 जनवरी 2020 राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण संख्या 03/2020 भंवरलाल बनाम गोदाराम व अन्य

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री कानाराम, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से चार
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या पॉच

नि र्ण य

दिनांक : 13 फर., 2020

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर, फास्ट ट्रेक, जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 03/2020 भंवरलाल बनाम गोदाराम व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23 जनवरी 2020 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 04 फरवरी 2020 को प्रस्तुत की है।

इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट-प्रार्थी भंवरलाल ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद पेश किया और वाद के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर अपीलाण्ट एवं रेस्पो. की सहखातेदारी की भूमि खसरा संख्या 159 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 278 रकबा 05 बीघा, खसरा संख्या 309/47 रकबा 12 बीघा कुल किता 3 रकबा 31 बीहघा 02 बिस्वा वाके मौजा मियासनी तहसील व जिला जोधपुर पूर्व में सुजाराम जी खातेदारी की भूमि होना, सुजारामजी के देहान्त के बाद उसमें अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या एक से चार सभी का बराबर-बराबर 1/5 - 1/5 हिस्सा निहित होना जाहिर करते हुए तदनुसार बंटवारे एवं स्थायी निषेधाज्ञा के वाद के निस्तारण तक स्थगन आदेश जारी कर रेस्पो. को अपने हिस्से से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिक भूमि पर कब्जा कर निर्माण करने से रोकने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 23 जनवरी 2020 को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये और प्रकरण में आगामी पेशी वास्ते तलबी इंतजार हेतु दिनांक 27 जनवरी 2020 मुकर्रर की। जो पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने की रबर स्टाम्प युक्त आदेशिका से आगे 27 जनवरी 2020 से 28 जनवरी 2020, 28 जनवरी 2020 से 03 फरवरी 2020 व 3 फरवरी 2020 से 6 फरवरी 2020 इल्तवा की गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 04 फरवरी 2020 को पेश की है। दिनांक 04 फरवरी 2020 को ही अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी एवं रेस्पो. की ओर से उपस्थिति-पत्र पेश किये। अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या एक से तीन के मध्य निष्पादित एक राजीनामा भी प्रस्तुत किया गया, जिस पर रेस्पो. संख्या 4 के हस्ताक्षर नहीं है। रेस्पो. की ओर से दिनांक 4 फरवरी 2020 को एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर जाहिर किया गया कि वे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते है। साथ ही यह भी जाहिर किया गया कि अपीलाण्ट ने वास्तविक तथ्यों को छिपा कर अपील पेश की है, अपीलाण्ट की ओर से बंटवारा का दावा पेश किया, जो दावा डिक्री करने के लिए रेस्पो. की ओर से जबाब पेश कर दिया गया। अपीलाण्ट ने दावा विड्रोवल करने के लिए प्रार्थनापत्र पेश किया, जो विचाराधीन है। अपील दिनांक 07 फरवरी 2020 को दर्ज की गयी और दोनों पक्षों की बहस स्थगन प्रार्थनापत्र पर सुनी जाकर वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 11 फरवरी 2020 को मुकर्रर की परन्तु 11 फरवरी 2020 को दोनों पक्ष मूल अपील के निस्तारण हेतु सहमत होकर उपस्थित हुए और अपनी मंशा जाहिर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करके निवेदन किया। अतः उनकी बहस अंतिम रूप से सुनी जाकर मूल अपील के गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में जाहिर किया कि रेस्पो. बिना विधिवत बंटवारा कराये ही सडक की ओर के भूभाग विशेष पर पक्का निर्माण कार्य करवा कर अपना पुख्ता भौतिक कब्जा करने पर आमदा है, जबकि संयुक्त खातेदारी की सामलाती कब्जे काश्त की भूमि के प्रत्येक इंच भूभाग पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त कानूनन अवधारित किया जाता है और धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विभाजन के मामले में प्रत्येक सहखातेदार के बंट में विधिवत माप एवं सीमांकन के आधार पर बंटवारा करते हुए अच्छी से अच्छी और निम्न से निम्न कोटि की भूमि समान रूप से दिये जाने का प्रावधान है। अतः माप एवं सीमांकन के आधार पर बंटवारे से पूर्व किसी भी सहखातेदार को किसी भी रूप में सहखातेदारी भूमि के किसी भू-भाग विशेष पर पुख्ता कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मगर आलौच्य प्रकरण में रेस्पो. वादग्रस्त आराजियात में पक्का निर्माण करने पर आमदा है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक जरिये स्थगन आदेश उन्हें रोका जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. का कथन है कि पक्षकारान के मध्य आपसी समझाइश से बंटवारा हो चुका है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा अपना दावा विड्रा करने हेतु प्रार्थनापत्र भी पेश कर दिया गया है, जिसका जबाब भी रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत किया जा चुका है और उक्त प्रार्थनापत्र विचाराधीन है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने के संबंध में "राजीनामा अन्तर्गत आदेश 23 नियम 03 सीपीसी" अदालत हांजा के समक्ष भी पेश किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अतः इन्हीं तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील का निस्तारण किये जाने हेतु अधिवक्ता-रेस्पो. की ओर से अनुरोध किया गया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता-अपीलाण्ट के इस कथन का कोई खण्डन नहीं किया गया है कि अपीलाण्ट एवं रेस्पो. की सहखातेदारी की भूमि खसरा संख्या 159 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 278 रकबा 05 बीघा, खसरा संख्या 309/47 रकबा 12 बीघा कुल किता 3 रकबा 31 बीहघा 02 बिस्वा वाके मौजा मियासनी तहसील व जिला जोधपुर पूर्व में सुजाराम जी खातेदारी की भूमि होना, सुजारामजी के देहान्त के बाद उसमें अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या एक से चार सभी का बराबर-बराबर 1/5 - 1/5 हिस्सा निहित है। जो राजीनामा दिनांक 07 फरवरी 2020 को आदेश 23 नियम 03 सीपीसी के तहत अदालत हाजा के समक्ष अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या एक से तीन की ओर से प्रस्तुत किया गया, उसमें भी खसरा संख्या 159, 278 एवं 309/47 वाके मौजा मियासनी पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की होना जाहिर किया है। अदालत हाजा अधिवक्ता-अपीलाण्ट के इस तर्क से सहमत है कि संयुक्त खातेदारी की सामलाती कब्जे काश्त की भूमि के प्रत्येक इंच भूभाग पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त कानूनन अवधारित किया जाता है और धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विभाजन के मामले में प्रत्येक सहखातेदार के बंट में विधिवत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

माप एवं सीमांकन के आधार पर बंटवारा करते हुए अच्छी से अच्छी और निम्न से निम्न कोटि की भूमि समान रूप से दिये जाने का प्रावधान है। अतः माप एवं सीमांकन के आधार पर बंटवारे से पूर्व किसी भी सहखातेदार को किसी भी रूप में सहखातेदारी भूमि के किसी भू-भाग विशेष पर पुख्ता कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सभी पक्षकारों के मध्य सहमति एवं राजीनामा विधिवत रूप से नहीं हुआ है।

दिनांक 7 फरवरी 2020 को जो राजीनामा आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के तहत पेश किया गया, वह एक पक्षकार के हस्ताक्षर के अभाव में अधूरा है। उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये वादग्रस्त भूमि में खसरा संख्या 159 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा में रेस्पो. संख्या एक से चार को पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा कराये जाने तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न तो करें और न ही जारी रखें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 13/2/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर